

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 213/2012

प्रादी :-

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राजस्थान)

1. बचनाराम पुत्र गोपुराम
जाति-माली, निवासी-निमाज
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955

तारीख रजु.: 15.10.2012

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

-:: निर्णय ::-

दिनांक:- 05/06/2015

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-निमाज-प्रथम, तहसील-जैतारण में ख.नं. 1265/67/6 रकबा 6-12 बीघा किस्म चा०प्र० लगान 28-14 रुपये की आई हुई हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 6-12 बीघा किस्म चा०प्र० पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर मोबाईल टावर के उपयोग में किया जा रहा है और भूमि को कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा-निमाज-प्रथम, तहसील-जैतारण में ख.नं. 1265/67/6 रकबा 6-12 बीघा किस्म चा०प्र० लगान 28-14 रुपये की आई हुई हैं, जो अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 01/10/2012 को प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह वाद प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।


इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति० को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआं की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिसेज वास्ते ज०दा० तलब किया गया। प्रति० बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 17/12/2013 को की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी ने सरहद मौजा-निमाज-प्रथम, तहसील-जैतारण में ख.नं. 1265/67/6 रकबा 6-12 बीघा किस्म चा०प्र० में मोबाईल टॉवर के उपयोग में ले रहा है। कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उलंघन किया है। प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखल करना उचित समझते हैं।



उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

-::आदेश:-

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर की जाती कि सरहद मौजा-निमाज-प्रथम, तहसील-जैतारण में ख.नं. 1265/67/6 रकबा 6-12 बीघा किरम चा0प्र0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती है। प्रतिवादी के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता है। प्रतिवादी को बेदखल किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 05/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केंद्र-निमाज पर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

अज अदालत

ईजलास

वादी :-

- 1 राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राजस्थान)

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
:- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
:- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

बनाम

प्रतिवादी :-

1. बचनाराम पुत्र गोपुराम
जाति-माली, निवासी-निमाज
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत

मु0न0 :रा0वा0 स0: 213/2012

धारा 177 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी तहसीलदार, जैतारण उपस्थित मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-निमाज-प्रथम, तहसील-जैतारण में ख.नं. 1265/67/6 रकबा 6-12 बीघा किस्म चा0प्र0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रतिवादी के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता है। प्रतिवादी को बेदखल किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .
.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 05/06/2015 को जारी किया गया ।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (जैतारण)
(जिला-पाली)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।